

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

॥ विधायो तथा अन्य मामलों से सम्बद्ध सामान्य जानकारी ॥

शुक्रवार, 25 मार्च, 1994/ चैत्र 4, 1916 ॥शक॥

संख्या : 76

सदस्यों की नजरबन्दी एवं रिहाई

उपायुक्त पुलिस, उत्तरी क्षेत्र का अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा

को सम्बोधित दिनांक 24.3.1994 का निम्नलिखित पत्र दिनांक 25.3.1994

को प्राप्त हुआ :-

"श्री मुकेश शर्मा तथा श्री महेन्द्र सिंह साथी, सदस्य,
दिल्ली विधान सभा को दिनांक 24.3.94 का

पूर्वाह्न 11.40 बजे थाना सिविल लाइन पर उनके

साथियों के साथ सामान्य सड़क यातायात को जाम

से बाज आने के लिये तथा यातायात के सहज प्रवाह

को न रोकने के लिए सहायक पुलिस आयुक्त, दिल्ली

के तर्कसम्पत निदेशों का पालन न करने के कारण दिल्ली

पुलिस अधिनियम 1978 के नियम 65 के अंतर्गत नजरबन्द

किया गया था और उसी दिन अपराह्न 12.10 बजे

उन्हें थाना सिविल लाइन से रिहा कर दिया गया था ।

पी. एन. गुप्ता

सचिव

DELHI VIDHAN SABHA

BULLETIN - PART II

(General information relating to Legislative and other matters)

Friday, March 25, 1994/Charitra 4, 1916 (Saka)

No.76

DETENTION & RELEASE OF MEMBERS

The following communication dated 24.3.1994 addressed to the Speaker, Delhi Vidhan Sabha, from the Deputy Commissioner of Police, North District was received on 25.3.1994 :

"Shri Mukesh Sharma and Shri Mahendar Singh Sathi, Members of the Delhi Vidhan Sabha were detained under Section 65 of the Delhi Police Act, 1978 for not obeying the reasonable directions of the Assistant Commissioner of Police, Civil Lines, Delhi to desist from blocking the road and to refrain from stopping the natural flow of traffic alongwith his followers at P.S. Civil Lines at 11.40 A.M. on 24.3.94 and were released on the same day at 12.10 P.M from P.S. Civil Lines."

P.N. GUPTA
SECRETARY